

No. HQ/PIO/RTI/223/15

Date: 30.06.2015

श्री जगदीश प्रसाद,
ग्राम तुमरैल गिरधरपुर,
जिला हापुड,
उ. प्र.-245101

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt.23.05.2015, received in this office on 29.05.2015.

उपरोक्त विषय पर संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

परियोजना से प्रभावित भूमि के प्रतिकर का निर्धारण में सीपीएम/मेरठ की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि प्रतिकर का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) गाजियाबाद के द्वारा किया जाता है। जिला हापुड के ग्राम हृदयपुर, बजनाथपुर, मोरपुर, हाफिजपुर उबारपुर, गिरधरपुर तुमरैल, रधुनाथपुर, पूठा, अमीपुर नगौला में वर्तमान में सक्षम प्राधिकारी/अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) गाजियाबाद द्वारा प्रतिकर का निर्धारण कर अभिनिर्णय घोषित नहीं किया गया है। इसलिए निर्धारित प्रतिकर के संबंध में सूचना दिया जाना संभव नहीं है। जहां तक कार्यालय अपर जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र सं. 326 दिनांक 13.04.2015 के सम्बंध में कोई टिप्पणी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।



(Rajesh Chopra)
Manager/Admn. & PIO

Copy to:- CPM/Meerut